

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4-सुभाष रोड़, देहरादून- 248001

Email id- ceo_uttaranchal@eci.gov.in

फोन न० (0135) - 2713551

फैक्स न० (0135) -2713724,

संख्या-1073/xxv- 53(P-14)/2021 देहरादून : दिनांक 12 जून 2023

सेवा में,

Mr. Mahesh C.Donia,
17-G/532, Greenview Apartment,
Vasundhara, Ghaziabad,
Uttar Pradesh-201012

विषय- सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के पत्र संख्या-153 दिनांक 06 जुलाई, 2023 के साथ संलग्न आपका अनुरोध पत्र दिनांक 26.06.2023 जो इस कार्यालय में दिनांक 06.07.2023 को प्राप्त हुआ है, के संख्या-02 में वांछित बिन्दु से सम्बन्धित सूचना कार्यालय अभिलेखों में धारित नहीं हैं।

इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हो तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते हैं

संलग्न-यथोपरि।

अपीलीय अधिकारी का पता
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4-सुभाष रोड़,
देहरादून-248001
मो०न०-9897995591

भवदीय

B. S. Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
मो०न०-9411740189

पृ०संख्या-1073/xxv- 12(P-14)/2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।

B. S. Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।



पंजीकृत

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2
संख्या: 153/आर0टी0आई0/का0 एवं स0-2/2023
देहरादून, दिनांक: 06 जुलाई, 2023

Mr. Mahesh C. Donia,
17-G/532, Greenview Apartment,
Vasundhara, Ghaziabad,
Uttar Pradesh-201012.

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अपने सूचना अनुरोध पत्र दिनांक 26.06.2023 का संदर्भ ग्रहण करें, जो लोक सूचना अधिकारी, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-02, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय में दिनांक 30.06.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त के क्रम में आपके सूचना अनुरोध पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं का उत्तरालेख निम्न तालिका के कॉलम-3 के अनुसार है:-

क्र0सं0	मांगी गयी सूचना के बिन्दु संख्या	उत्तरालेख
1	2	3
1	<u>बिन्दु संख्या-1</u>	कार्मिक विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-1415, दिनांक 30.08.2001 तथा शासनादेश सं0-130, दिनांक 28.01.2020 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2	<u>बिन्दु संख्या-2</u>	वांछित बिन्दु के पहले भाग की सूचना बिन्दु सं0-1 के अनुसार है तथा दूसरे भाग की सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित विभाग को अन्तरित किया जा रहा है।
3	<u>बिन्दु संख्या-3</u>	सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित विभाग को अन्तरित किया जा रहा है।
4	<u>बिन्दु संख्या-4</u>	सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 के नियम 5(ग) में उल्लेख है कि यदि सूचना दो या अधिक विभागों से सम्बन्धित है, तो ऐसी स्थिति में अनुरोध पत्र अन्तरित नहीं किया जाएगा। अतः आप सम्बन्धित विभागों के लोक सूचना अधिकारियों से पृथक-पृथक आवेदन कर सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

2. उक्त सूचना से संतुष्ट न होने की स्थिति में आप निम्नलिखित पते पर प्रथम अपीलीय अधिकारी को निर्धारित समयान्तर्गत अपील कर सकते हैं:-

श्री आलोक कुमार सिंह,
प्रथम अपीलीय अधिकारी/उप सचिव,
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2,
द्वितीय तल, पश्चिमी ब्लॉक, उत्तराखण्ड सचिवालय,
देहरादून-248001

संलग्नक: यथोक्त।

(विलास गोदियाल)

लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी

संख्या: /आर0टी0आई0/का0 एवं स0-2/2023, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- 1. अनुभाग अधिकारी, सचिवालय प्रशासन (विविध) अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन को ₹10/- का पोस्टल ऑर्डर (57एफ 562805) राजकोष में जमा कराये जाने हेतु प्रेषित।

2. लोक सूचना अधिकारी, निर्वाचन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अनुरोधकर्ता Mr. Mahesh C. Donia के अनुरोध पत्र की प्रति सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत इस आशय से अन्तरित की जा रही है कि सूचना अनुरोध पत्र में उल्लिखित बिन्दु संख्या-2 के दूसरे भाग, 3 के सूचनायें आपके विभाग से सम्बन्धित हैं। अतः आवेदक को उक्त बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचनायें अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(विलास गोदियाल)

लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी

153/R.T. 7/2023

लोक सूचना अधिकारी
कार्मिक विभाग
उत्तराखंड शासन
सचिवालय, सुभाष रोड
देहरादून, उत्तराखंड - 248001

Date: 26.06.2023

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (RTI Act 2005) के तहत जानकारी उपलब्ध कराए जाने हेतु आवेदन

महोदय

आपसे करवद्ध निवेदन है कि प्रार्थी को निम्न जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत यथाशीघ्र उपलब्ध करवाएँ:

1. उत्तर प्रदेश के 1967 के CO Constitution (Scheduled Tribe) (Uttar Pradesh) Order 1967 के अनुसार राज्य के जौनसार-बावर के क्षेत्र को tribal area/backward area घोषित कर उस पूरे भूभाग को आरक्षण की परिधि में लाने के लिए जारी उत्तराखंड शासनादेश की प्रति।
2. इस शासनादेश के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जौनसार-बावर की जिन जातियों/उपजातियों को एसटी कैटेगरी में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है उन जातियों/उपजातियों का नाम और इस पूरे क्षेत्र में उन जातियों/उपजातियों की जनसंख्या का ब्योरा।
3. जौनसार-बावर क्षेत्र में रहने वाली कुल आबादी का तहसील-वार और जाति/उपजाति-वार ब्योरा।
4. इस शासनादेश के अंतर्गत राज्य सरकार की सेवाओं में एसटी कैटेगरी में आरक्षण के तहत नौकरी/नियुक्ति पाने वाले जौनसारी व्यक्तियों की संख्या का ब्योरा।

उपरोक्त जानकारी यथाशीघ्र नीचे दिए गए पते पर उपलब्ध करवाने/भेजने की कृपा करें:

Mahesh C. Donia
17-G/532, Greenview Apartment
Vasundhara, Ghaziabad
Uttar Pradesh - 201 012

श्री अशोक
30/06/23

नियमानुसार 10/- की राशि का पीओ इस आवेदन के साथ संलग्न है।